प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.09.2024

थाना शहाबगंज   जनपद चन्दौली

थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लादकर 01 राशि भैंस व 01 राशि पड़वा की बरामदगी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद मे पशुओं को क्रूरता पूर्वक वाहन मे लादकर अवैध परिवहन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया जनपद चन्दौली के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान थाना शहाबगंज थानाध्यक्ष मिर्जा रिजवान बेग के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2024 को एक व्यक्ति द्वारा 01 राशि भैंस व 01 राशि पड़वा को रस्सी से बांधकर क्रूरता पूर्वक वाहन मे लादकर अवैध परिवहन कर ले जाया जा रहा था कि पुलिस बूथ शहाबगंज के पास भैंस व पड़वा की बरामदगी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 95/2024 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनयम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1.शिवमंगल गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी ग्राम कलानी थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 35 वर्ष

स्थान गिरफ्तारीः- पुलिस बूथ शहाबगंज के पास थाना क्षेत्र शहाबगंज जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण –

01 राशि भैंस व 01 राशि पड़वा

टाटा मैजिक गाड़ी UP65ET7393

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. मिर्जा रिजवान बेग- थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

2. उ0नि0 रामचन्द्र शाही

3. का0 अमित कुमार पटेल

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 15.09.2024

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

चन्दौली पुलिस द्वारा शातिर, मनबढ़ व अभ्यस्त आपराधियों के विरुद्ध लगातार की जा रही है प्रभावी कार्यवाही

थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट तहत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर की जा रही लगातार कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन), अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़, कृष्ण मुरारी के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चकरघट्टा धीरेन्द्र प्रताप सिह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.09.2024 को थाना चकरघट्टा द्वारा छेडखानी, पशुक्रूरता व गोवध जैसे अपराधो मे ं संलिप्त 02 अभियुक्तों के विरूद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का विवरण –

1. शुभम गुप्ता पुत्र आनन्द गुप्ता नि0ग्राम नौगढ थाना नौगढ जनपद चन्दौली उम्र 29 वर्ष।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण-

रजि0संख्या -3/2024 धारा 3(1) उ0प्र0गुण्डा निवारण अधि0 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 36/2024 धारा 354 क,354 घ,427 भादवि थाना चकरघट्टा

अभियुक्त का विवरण –

2. राजेश यादव पुत्र रामनरेश यादव नि0ग्राम बैरगाढ थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र 32 वर्ष।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण-

रजि0 संख्या -4/2024 धारा 3(1) उ0प्र0गुण्डा निवारण अधि0 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 01/23 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 थाना चकरघट्टा

2.मु0अ0सं0 02/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट   थाना चकरघट्टा

3.मु0अ0सं0 12/21 धारा 60 अबकारी अधि0   थाना चकरघट्टा

4मु0अ0सं0 24/22 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 व 429 भादवि   थाना चकरघट्टा

प्रेस नोट दिनांक 15.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 02 पिकअप वाहनो में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे कुल 16 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 01 शातिर पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर आशुतोष के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व मे अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 02 पिकअप वाहनो में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे कुल 16 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 01 शातिर पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

□01 इन्द्रा पिकअप में क्रूरतापुर्वक 07 राशि गोवंशीय पशु के साथ, 01 शातिर गौतस्कर गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 15.09.2024 को उ0नि0 अरविन्द कुमार सोनकर मय हमराह पंचफेडवा सर्विस लेन के पास संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वाहनो की चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि एक इन्द्रा पिकअप हाफ ढाला जो सफेद कलर की है,जिसमें कुछ गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधकर वाराणसी की तरफ से बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया रहा है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा पंचफेडवा सर्विस लेन नेशनल हाईवे वाराणसी की तरफ से आने वाली गाडियो को एक-एक कर रोक कर छोडा जा रहा था, तभी एक सफेद रंग की इन्द्रा पिकअप हाफ ढाला जो पीले रंग की प्लास्टिक से ढक कर आते हुये दिखाई दिया। चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देख गाडी को रोक कर वाहन चालक व एक अन्य व्यक्ति वाहन से उतरकर भागने लगे ।कुछ दूरी वाहन से उतरकर भाग रहे एक व्यक्ति को घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया,तथा एक व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाते हुये भागने में सफल रहा। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पूछा गया तो अपना नाम रामराज बिन्द पुत्र मुन्ना बिन्द निवासी शहबाजपुर थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार बताया तथा भागने वाले व्यक्ति के बारे मे पूछा गया तो उसका नाम सोगिन्दर उर्फ योगी बिन्द पुत्र मुन्ना बिन्द निवासी शहबाजपुर थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार बताया । पिकअप को किनारे कराकर चेक किया गया तो उसमें कुल 07 राशि साड़ जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा हुआ पाया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 231/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम 1. रामराज बिन्द पुत्र मुन्ना बिन्द निवासी शहबाजपुर थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार 2. सोगिन्दर उर्फ योगी बिन्द पुत्र मुन्ना बिन्द निवासी शहबाजपुर थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है । मौके से फरार अभियुक्त सोगिन्दर उर्फ योगी बिन्द की तलाश की जा रही है ।

विवरण पूछताछ अभियुक्त- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि गोवंशो का हंडिया प्रयागराज के जंगल से लादकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण व अपराधिक इतिहास-

1.रामराज बिन्द पुत्र मुन्ना बिन्द निवासी शहबाजपुर थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार

मु0अ0सं0 231/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

बरामदगी का स्थान –

स्थान – पचफेड़वा सर्विस लेन नेशनल हाईवे थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी -

1.01 इन्द्रा पिकअप V-30 बिना नम्बर चेसिस नं0 MAT535346PYP58380

2.कुल 07 राशि साड़

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. अरविन्द सोनकर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.का0 दीपक साहू थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.का0 अमित सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□एक टाटा योद्धा पिकअप पर क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा रहे कुल 09 अदद (07 राशि सांड़ जिन्दा व 02 राशि गाय) गोवंशीय पशु बरामद

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 15.09.2024 को उ0नि0 गोविन्द सिंह मय हमराह गोधना चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियो व वाहनो की चेकिंग कर रहे थे, कि उसी दौरान मुखबिर द्वारा गोवंशीय पशु को क्रूरतापूर्वक बांधकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाने की सूचना प्राप्त हुयी। उपरोक्त सूचना के आधार पर एन0एच0 19 हाईवे सिंधीताली हाईवे पर बैरिकेंटिग कर चेकिंग सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देख वाहन का चालक चेकिंग पॉइंट से 100 मीटर पहले ही गाड़ी खड़ीकर मौके से फरार हो गया । खड़ी बिना नम्बर का पिकअप टाटा योद्धा चेचिस नं0 MAT464827RSA00102 को चेक किया गया तो उसमें कुल 09 राशि गोवंश (07 राशि सांढ़ जिन्दा व 02 राशि गाय) जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा हुआ पाया गया । बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 230/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम बिना नम्बर का पीकअप टाटा योद्धा चेचिस नं0 MAT464827RSA00102 का चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रीम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है । मौके से फरार वाहन चालक / स्वामी की तलाश की जा रही है ।

बरामदगी का स्थान– एन0एच0 19 हाईवे सिंधीताली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी -

1. पीकअप टाटा योद्धा चेचिस नं0 MAT464827RSA00102
2. 09 राशि गोवंश (07 राशि सांढ़ जिन्दा व 02 राशि गाय)

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
2. उ.नि. गोविन्द सिंह चौकी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
3. हे0का0 आलोक सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
4. का0 अनन्त सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

प्रेस नोट दिनांक-15.09.2024

थाना धीना जनपद चंदौली

➡ थाना धीना पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश में व, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण मार्गदर्शन में थाना धीना पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा मु0अ0सं0 52/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/ 109/110/103(1)/3(5) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त आशीष सिंह उर्फ विनायक पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी नि0 ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चन्दौली को सकलडीहा रोड पर ओवर ब्रिज के पश्चिम महावीर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय में पेश कर मा0 न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

पूर्व की घटना- दिनांक 06.07.2024 को ग्राम करजरा में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई थी जिसमें अजय प्रसाद उर्फ धर्मू पुत्र स्व0 कान्ता प्रसाद को फावड़े से मारकर घायल कर दिया गया था जिनकी बीएचयू ट्रामा सेन्टर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धीना पर मु0अ0सं0 52/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/109/110/103(1) बीएनएस बनाम 1.नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 विजय बहादुर सिंह 2. आशीष सिंह उर्फ विनायक पुत्र नरेन्द्र सिंह 3. अभिषेक सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चन्दौली पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना धीना पुलिस टीम द्वारा 1. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 विजय बहादुर सिंह 2. अभिषेक सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है।

अभियुक्त का नाम व पता- आशीष सिंह उर्फ विनायक पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी नि0 ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चन्दौली -उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 52/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/ 109/110/103(1)/3(5) बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली 2.उ0नि0 ताराचन्द्र सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली

3सर्विलांस व स्वाट टीम-प्र0उ0नि0 आशीष मिश्रा ,हे0का राणा सिंह, हे0का0 आनन्द सिंह, हे0 का0 राजेश यादव

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.09.2024

जनपद चन्दौली

□ पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा पड़ाव पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सम्बंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद चन्दौली में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के साथ ही पड़ाव चौराहे से लेकर मुगलसराय कस्बे से होते हुए चकिया तिराहे तक सुगम व सरल यातायात व्यवस्था बनाने हेतु क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर, प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय,प्रभारी निरीक्षक यातायात चंदौली व चौकी प्रभारी जलीलपुर के साथ पड़ाव से लेकर पीडीडीयू नगर स्टेशन तक यातायात की स्थिति को भौतिक निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने बताया कि उनके जनपद में आगमन के दिन से वह निरन्तर पड़ाव चौराहे पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयास कर रहे है और यातायात नियमों का पालन ना करने वालो के विरूद्ध लगातार कार्रवाई भी की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक-15.09.2024

जनपद चंदौली

श्री आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपदीय एटीरोमियो पुलिस टीम द्वारा मनचलों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए चलाया गया विशेष अभियान।

जनपदीय एंटी रोमियों पुलिस टीम द्वारा सादे वस्त्र में बसों में महिलाओं/बालिकाओं के साथ छेड़खानी करने वाले मनचलों की जा रही है निगरानी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में एंटी रोमियो पुलिस टीम द्वारा मनचलों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपदीय एंटी रोमियो पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्र की बसों में व विद्यालय के बाहर सादे वस्त्र में मनचलों की निगरानी करते हुए जो महिलाओं/छात्राओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, उनके ऊपर गंदी नजर रखने वाले मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

प्रेस नोट-दिनांकः 15.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 15.09.2024 को कुल 123 वाहनों का चालान करते हुए 2,21,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 123 वाहनों का चालान करते हुए 2,21,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों

को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लघन का प्रकार   चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-06

2. बिना हेलमेट-61

3. नो पार्किंग-22

4. गलत दिशा में वाहन चलाना-08

5. गलत नंबर प्लेट- 01

6. मोबाइल फोन का प्रयोग वाहन चलाते समय- 01

7. बिना फिटनेस- 03

8. ड्राइविंग लाइसेंस ना होना-08

9.बिना इंसोरेंस वाहन चलाना-04

9. बिना परमिट- 06

10. अन्य- 03

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 15.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-123

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-2,21,500/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक- 15.09.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 16 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 15.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 16 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।